संख्या: 10 /2016 / 765/ सत्रह-म-2016 6-9(169) /2015

प्रेषक,

नीलम अहलावत,
सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 शासन ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 29 अप्रैल 2016

विषय - अनुदान संख्या -17 लेखाशीर्षक- 2405 – मछली पालन- आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में ।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 28 / ले0शा0/वित्तीय स्वीकृति/ 2016-17 दिनांक 11-04-16 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत अनुदान संख्या -17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन – आयोजनेत्तर 001- निदेशन तथा प्रशासन, 03 – अधिष्ठान 109- विस्तार तथा प्रशिक्षण 800- अन्य व्यय 03 – अनुसंधान -सामान्य 04 – प्रादेशिक मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना 05 – राज्यस्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन 11- प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 679904 हजार के सापेक्ष धनराशि रू0 621404 हजार (रूपये बासठ करोड चौदह लाख चार हजार मात्र) की धनराशि संलग्न तालिकानुसार श्री राज्यपाल महोदय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2016/बी-1-746/दस- 2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 मे दिये गये निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है –

1- नयी परियोजना / योजना /सेवाके लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने सम्बंधी जो भी प्रस्ताव किये जायं उनमें अन्य वांछित विवरण के साथ- साथ उ0प्र0 बजट मैनुअल के आठवें अध्याय के अनुलग्नक -1 के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य रखा / उपलब्ध कराया जाय ।
2- जिन मामलों में केन्द्र सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा योजना का वित्त पोषण किया जाना प्रस्तावित है उसमें किश्तों का निर्धारण केन्द्र सरकार /संस्थाओं की शर्तो के अनुसार किया जाय । केन्द्र सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण योजनाओं के सम्बंध में उनके द्वारा लगायी गयी शर्तो का स्वीकृत आदेशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय और उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त प्रस्तर -2 (13) में दिये गये नि र्देश मानक मद 35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन तथा अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि निर्माण कार्यो के सम्बंध में भी समान रूप से लागू होगें।

4- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता हा जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत् राज्य सरकार /केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत् बजट मे प्राविधानित धनराशि का आंवटन एवं वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में शासनादेश संख्या –बी- 1-1195/ दस -16 /94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत् निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

6- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ –साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर- 2 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेशियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय ।

7- उ0प्र0बजट मैनुअल के पैरा – 88 में यह स्पष्ट किया गया है कि नियत्रंक अधिकारी या विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थित हो और सचिवालय के सम्बंधित प्रशासकीय विभाग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगें की व्यय को कडाईके साथ प्राधिकृतविनियोग के भीतर रखा जाय । इसलिए नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के साथ-साथ प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बडे अन्तर होने की सम्भावना मालूम पडे तो उसे तत्काल वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय ।

8- वित्तीय स्वीकृति का उपयोग शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/ शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।

9- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशियों आवंटन(एलाटमेंट) मात्र किसी भी प्रकार से व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेशियल हैण्डबुक के नियमों एवं स्टोर पर्चेज नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की सवीकृति की आवश्यकता हो, उन मामलों में स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाय । जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विदमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही व्यय किया जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- अधीनस्थ अधिकारियों को जारी की जाने वाली धनराशि के कोषागार से किश्तों में आहरण सम्बंधी आदेश का समावेश सुनिश्चित किया जाय।

11- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बंध में समय-समय में जारी शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय।

2- उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय के अनुदान संख्या -17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन – आयोजनेत्तर 001- निदेशन तथा प्रशासन 03 – अधिष्ठान 109- विस्तार तथा प्रशिक्षण 800- अन्य व्यय 03 – अनुसंधान -सामान्य 04 – प्रादेशिक मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना 05 – राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन 11- प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहें है।

संलग्नक : यथोक्त (परिशिष्ट)।

भवदीय

(नीलम अहलावत)
सचिव।

संख्या - 10 /2016 / 765/सत्रह-म-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय लखनऊ।
5- वित्त (व्यय- नियत्रण) अनुभाग-2 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या 10 /2016 /765/सत्रह-म-2016,6-9(169)/15 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 का संलग्नक

(रू0 हजार में)

001-निदेशन तथा प्रशासन 03-अधिष्ठान	कुल प्राविधान वर्ष 2016-17	स्वीकृत धनराशि
01- वेतन	40000	40000
03-मंहगाई भत्ता	54400	54400
04-यात्रा भत्ता	100	100
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	150	150
06- अन्य भत्ते	4000	4000
08- कार्यालय व्यय	500	500
09- विघुत देय	800	800
10- जलकर/ जल प्रभार	400	400
11-लेखन सामग्री /और फर्मो की छपाई	200	200
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपक्रम	75	75
13- टेलीफोन पर व्यय	175	175
14- मोटर गाडियों का क्रय	5000	-
15-गाडियों का अनुरक्षण /और पेट्रोल आदि की खरीद	1500	1500
17-किराया /उपशुल्क और करस्वामित्व	1000	1000
19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	-	-
29- अनुरक्षण	1000	1000
44- प्रशिक्षण	25	25
45- अवकाश यात्रा पर व्यय	10	10
46-कम्प्युटर हार्डवेयर /साफटवेयर का क्रय	50	50
47-कम्प्युटर अनुरक्षण /ततसम्बधी स्टेशनरी का क्रय	150	150
49-चिकित्सा व्यय	1800	1800
51- वर्दी	10	10
योग – 03	**111345**	**106345**
109- विस्तार तथा प्रशिक्षण		
03-मत्स्य पालन शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना		
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रसांगिक व्यय	1	1
योग- 3	**1**	**1**
190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता **01- केन्द्र आयोजित योजनाएं** **0101 – मत्स्य पालन विकास अभिकरण को सहायता**		
20- सहायता अनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	2000	-
31- सहायता अनुदान –सामान्य(वेतन)	51500	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

योग -	**53500**	
800- अन्य व्यय **03-अनुसंधान सामान्य**		
01- वेतन	199006	199006
02- मजदूरी	50	50
03-महगाई भत्ता	270648	270648
04- यात्रा व्यय	1500	1500
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	100	100
06- अन्य भत्ते	19900	19900
07-मानदेय	360	360
08- कार्यालय व्यय	400	400
09- विघुत देय	3000	3000
10- जलकर/ जल प्रभार	50	50
11- लेखन सामग्री /और फर्मो की छपाई	200	200
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपक्रम	100	100
13- टेलीफोन पर व्यय	300	300
15- गाडियों अनुरक्षण /और पेट्रोल आदि का क्रय	1000	1000
16- व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	300	300
17- किराया /उपशुल्क और करस्वामित्व	1306	1306
18 –प्रकाशन	30	30
19- विज्ञापन/ विख्यापन	30	30
29- अनुरक्षण	100	100
42- अन्य व्यय **भारित**	**90** **450**	**90** -
44- प्रशिक्षण	50	50
45- अवकाश यात्रा पर व्यय	25	25
46- कम्प्युटर हार्डवेयर /साफटवेयर का क्रय	100	100
47- कम्प्युटर अनुरक्षण /ततसम्बधी स्टेशनरी का क्रय	100	100
49-चिकित्सा व्यय	2650	2650
51- वर्दी	50	50
योग – मतदेय -03 **भारित**	**501445** **450**	**501445** -
04-प्रादेशिक मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना		
01- वेतन	4727	4727
03-मंहगाई भत्ता	6429	6429
04-यात्रा व्यय	100	100
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	40	40
06- अन्य भत्ते	472	472
08- कार्यालय व्यय	40	40
09- विघुत देय	100	100

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11-लेखन सामग्री /और फर्मो की छपाई	30	30
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपक्रम	20	20
13-टेलीफोन पर व्यय	50	50
15-गाडियों का अनुरक्षण /और पेट्रोल आदि की खरीद	200	200
17-किराया /उपशुल्क और करस्वामित्व	150	150
45- अवकाश यात्रा व्यय	25	25
47-कम्प्युटर अनुरक्षण /ततसम्बधी स्टेशनरी का क्रय	50	50
49- चिकित्सा व्यय	400	400
51-वर्दी	5	5
योग – 04	**12838**	**12838**
05- राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन		
02- मजदूरी	15	15
04-यात्रा भत्ता	25	25
08- कार्यालय व्यय	25	25
09- विघुत देय	50	50
10- जलकर/ जल प्रभार	50	50
11- लेखन सामग्री /और फर्मो की छपाई	25	25
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपक्रम	10	10
13- टेलीफोन पर व्यय	20	20
15- गाडियों का अनुरक्षण /और पेट्रोल आदि की खरीद	25	25
17- किराया /उपशुल्क और करस्वामित्व	50	50
18 – प्रकाशन	5	5
42- अन्य व्यय	10	10
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	100	100
47- कम्प्युटर अनुरक्षण /ततसम्बधी स्टेशनरी का क्रय	10	10
51- वर्दी	5	5
योग – 05	**425**	**425**
11- प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण		
39- औषधि तथा रसायन	350	350
योग- 11	350	350
कुल योग 800- अन्य व्यय – मतदेय **भारित**	**515058** **450**	**515058** -
कुल योग-2405- मछली पालन आयोजनेत्तर –मतदेय **भारित**	**679904** **450**	**621404** -

मतदेय - (रूपया बासठ करोड चौदह लाख चार हजार मात्र)

(नीलम अहलावत)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in